भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

एफ.एस.एस.ए.आई कोविड–19 के दौरान खाद्य कारोबारों का कार्य निर्बाध सुनिश्चित करा रही है

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2020 : कोविड–19 विश्वमारी के कारण न केवल लोगों की जान को खतरा है, बल्कि विश्व की अर्थ–व्यवस्था – आपूर्ति चेनों, कारोबारों और लोगों के काम – पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस विश्वमारी से निपटने में सहायता करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) लॉकडाउन की अवधि में निर्बाध खाद्य सेवाएँ/आपूर्ति जारी रखने के लिए कई कदम उठा रही है।

जहाँ खाद्य सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी चिंता है, खाद्य आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होने के इन मुश्किल दिनों में एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य कारोबारों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने की आवश्यकता को भली–भाँति समझ रही है। एफ.एस.एस.ए.आई ने कोविड–19 की अवधि में कई प्रमुख कदम उठाए हैं।

कोविड–19 की अवधि के दौरान खाद्य वस्तुओं की निर्मुक्ति और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एनसीआर और कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ और एफ.एस.एस.ए.आई–प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाएँ) को अनिवार्य सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खाद्य वस्तुओं की निर्मुक्ति तेजी से करने के लिए सी.एफ.एस पर नमूने लेने की बजाय कोची अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर ही लेने की अनमुति दे दी गई है।

आयातित खाद्य तेलों (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्नों की खेपों की अस्थायी निर्मुक्ति 30 मई, 2020 तक अनुमत कर दी गई हैं। खाद्य आयात के रिजेक्ट हुए मामलों की पुनरीक्षा कराने के आवेदन और शुल्क ऑनलाइन लेने की व्यवस्था की गई है।

विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के खाद्य, अर्थात् उपापचय के जन्मजात दोषों (आईईएम) और अल्प एलर्जी दशाओं के खाद्य की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिल्ली और मुंबई पोर्टों के माध्यम से उनके आयात की अनुमति 01 नवंबर, 2020 तक छह महीने के लिए और बढ़ा दी है।

एफ.एस.एस.ए.आई ने उत्पादकों को छोड़कर लॉजिस्टिक आपूर्ति चेनों को अपने कारोबार खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) पर जनित एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण आवेदन की 17–अंकीय आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन) वाली वैध पावती के आधार पर अस्थायी रूप से चलाने की अनुमति दे दी है। केवल उच्च जोखिम के मामलों में आवेदनों पर कार्रवाई में देरी न होने देने के लिए ई–प्रोसेसिंग से निरीक्षण किया जाएगा।

22 मार्च से 31 मई, 2020 के दौरान लाइसेंस नवीकरण के मामलों को 30 जून, 2020 तक छूट न देने और दंड न लगाने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य कारोबारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों को 31 जुलाई, 2020 तक आस्थगित कर दिया गया है।

खाद्य कारोबारों के लिए संशोधन शुल्क एक वर्ष के लाइसेंस शुल्क से घटाकर केवल 1,000 रुपये कर दिया गया है।

''कोरोना (कोविड–19) विश्वमारी के दौरान खाद्य कारोबारों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश'' जारी किए गए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की अनुसूची 4 के अनुसार उच्च स्तर की वैयक्तिक स्वच्छता बनाए रखने, सुरक्षित खाद्य रीतियाँ अपनाने, जीएचपी और जीएमपी रीतियों के क्रियान्वयन के साथ–साथ पारस्परिक दूरी के आवश्यक नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है। ये दिशा–निर्देश www.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रमुख फोस्टैक कार्यक्रम के माध्यम से अपने पैनल में शामिल प्रशिक्षण सहभागियों की सहायता से कोविड–19 के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता रीतियों संबंधी अनिवार्यताओं के बारे में खाद्यकर्मियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण माड्यूल भी आरंभ किया है।

एफ.एस.एस.ए.आई कोविड–19 के बारे में जनहित की विभिन्न सूचनाएँ देने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार साधनों का उपयोग भी कर रही है। खाद्य सुरक्षा, वैयक्तिक स्वच्छता रीतियों, खान–पान की स्वस्थ आदतों, पारस्परिक दूरी बनाए रखने संबंधी तथा नागकिों के लिए अन्य महत्वूपर्ण परामर्श विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एफ.एस.एस.ए.आई के आधिकारिक हैंडल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाले गए हैं।

30/40 सेकिंडों के छोटे–छोटे वीडियो के रूप में महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने MyGov प्लेटफॉर्म से सहयोग किया है, जिनमें डॉक्टरों, पोषण विज्ञानियों, आहार विज्ञानियों, चेफ आदि खाद्य सुरक्षा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ–साथ खिलाड़ियों के एंडोर्समेंट भी हैं। यूनिसेफ, इंडिया से भी एक ऐसा सहयोग किया जा रहा है।

एफ.एस.एस.ए.आई ने अपनी वेबसाइट पर कोविड–19 का विशिष्ट पेज बनाया है, जिसमें इस अवधि के दौरान इस द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं, निर्देशों और आदेशों के साथ–साथ विभिन्न संप्रेषण सामग्रियाँ, मार्गदर्शी नोट और प्रेस विज्ञप्तियाँ दी गई हैं।

अधिकांश राज्यों के खाद्य सुरक्षा कार्मिक लॉकडाउन सुनिश्चित कराने की कोविड ड्यूटी करते हुए खाद्य आपूर्ति के लिए सर्वे/निगरानी भी कर रहे हैं, काम में लगे खाद्य कारोबारों/समुदायों के किचनों के निरीक्षण कर रहे हैं और समन्वय का कार्य कर रहे हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं – कोविड योद्धाओं तथा अनिवार्य और सहायी सेवाएँ देने वाले पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की सराहना करती है। एफ.एस.एस.ए.आई के कर्मचारियों ने पीएम केअर फंड में 7.41 लाख रुपये का योगदान दिया है।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई–मेल : sharmaruchika.21@gmail.com